

प्रेसनोट- मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 22.07.2026

ऑपरेशन कन्विकशन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस का सफलतम प्रयास धारा 302,177,195,201,34 भादवि के 06 आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल 3 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 के आदेशानुसार जनपद में जघन्य अपराधों को कड़ी सजा से दण्डित करवाये जाने हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, बरेली जोन, बरेली व श्री अजय कुमार साहनी पुलिस उपमहानिरीक्षक महोदय, बरेली परिक्षेत्र, बरेली महोदय के निर्देशानुसार श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के कुशल निर्देशन में, श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/पार्टी प्रभारी के कुशल पर्यवेक्षण में अपराधियों को शीघ्र एवं कठोर सजा दिलाने में शाहजहाँपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

इस क्रम में मॉनीटरिंग सेल व थाना जलालाबाद पुलिस तथा अभियोजन विभाग द्वारा समन्वय स्थापित करके समयबद्ध रूप से माननीय न्यायालय एडीजे-03 में साक्षियों को साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी किये जाने के उपरान्त अभियुक्त 1.ओमपाल पुत्र राजपाल 2.प्रमोद पुत्र शेर सिंह 3. सोनु उर्फ अनुज पुत्र ओमपाल 4.अमित उर्फ झुन्नी पुत्र ओमपाल 5. अजय पुत्र बाबूराम 6. सर्वेश उर्फ समरपाल पुत्र बाबूराम सर्व निवासीगण ग्राम डहर, थाना जलालाबाद में अभियुक्तगण द्वारा रमनपाल व उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी,लाठी डन्डो से मारपीट कर हत्या के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 3 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।

सजा प्राप्त किये अभियुक्त का विवरण

1. ओमपाल पुत्र राजपाल नि0 ग्राम डहर, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर
2. प्रमोद पुत्र शेर सिंह नि0 ग्राम डहर, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर
3. सोनु उर्फ अनुज पुत्र ओमपाल नि0 ग्राम डहर, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर
4. अमित उर्फ झुन्नी पुत्र ओमपाल नि0 ग्राम डहर, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर
5. अजय पुत्र बाबूराम नि0 ग्राम डहर, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर
6. सर्वेश उर्फ समरपाल पुत्र बाबूराम नि0 ग्राम डहर, थाना जलालाबाद, जनपद शाहजहाँपुर

घटना व सजा का विवरण

मु0अ0सं0 419/2022 धारा 302,177,195,201,34 भादवि थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर में अभियुक्त 1.ओमपाल पुत्र राजपाल 2.प्रमोद पुत्र शेर सिंह 3. सोनु उर्फ अनुज पुत्र ओमपाल 4.अमित उर्फ झुन्नी पुत्र ओमपाल 5. अजय पुत्र बाबूराम 6. सर्वेश उर्फ समरपाल पुत्र बाबूराम सर्व निवासीगण ग्राम डहर थाना जलालाबाद में अभियुक्तगण द्वारा रमनपाल व उसकी पत्नी की कुल्हाड़ी,लाठी डन्डो से मारपीट कर हत्या करने के आरोप में आजीवन कारावास एवं कुल 3 लाख 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया ।